न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—94 / 2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

1. नरेन्द्र कुमार 2. आत्माराम		पि. लिछमणराम जाति मेघवाल सा.भाखरांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1 लिछमणराम पुत्र हीरा राम		जाति मेघवाल सा. भाखरांवाली तह. संगरिया
2 कैलाश देवी	पुत्रीया लिछमणराम	
3 कमला		
4 पप्पू देवी		
5 शाखा प्रबन्धक एम.जी.बी. ग्रामीण बैक संगरिया तह. संगरिया		
6 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया		

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री नक्षत्र सिह सिद्धू — वकील वादीगण
2— श्री गुरमीत सिह कलसी— वकील प्रति सं. 1 ता 4
3— श्री रविन्द्र भोबिया — वकील प्रति.संख्या 5

निर्णय दिनांक :— 20.09.2019

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रकिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक मे दर्ज है। वादीगण एवं प्रति स. 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। जो कि हीराराम के वंशज है। वादीगण के पिता प्रति स. 1 लिछमणराम पुत्र हीराराम के नाम चक 4 एस.टी.पी. खाता स. 98 / 88 खाता लिछमणराम ज. स. 2070—73 में कुल 2.618 है0 आराजी दर्ज है। उक्त चक के उक्त खाता की नकल जमाबन्दीं संलग्न वादपत्र है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति स. 1 लिछमणराम पुत्र हीराराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रति स. 1 के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी उनके वारिसान वादीगण तथा प्रति स. 2 ता 4 की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादीगण व प्रति स. 2 ता 4 का उनके पिता प्रति स. 1 के साथ जन्म से ही ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है।किन्तु प्रति स. 1 ता 4 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग

वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब.कर दिया है। अतः उक्त वादग्रस्त आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है।अतः इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण दावा की दफा 4 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का दावा की दफा 4 के अनुसार हमें खातेदार काश्ताकर होना मान लो तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वाद कारण हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश। प्रतिवादी संख्या 5 बैक एव 6 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी की ओर से साक्ष्य वादी में वादी संख्या 2 आत्माराम की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। जमाबन्दी चक नं. 4 एसटीपी खाता संख्या 98/88 सम्वत 2070–73 को प्रदर्श–1 तथा वादी ने फार्म नं. 3 के साथ पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 4 एसटीपी राजस्व विभाग राजस्थान पास बुक की फोटो प्रति प्रमाणित पेश की जो प्रदर्श–2 एवं राजस्थान सरकार भू–प्रबन्धक विभाग चक 4 एसटीपी के पर्चा लगान की प्रति पेश गई जो शामिल पत्रावली है। जो प्रदर्श–3 है। साथ ही वादीगण द्वारा वारिसान तस्दीक हेतु अपना शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि लिछमणराम पुत्र हरीराम के नाम से चक 4 एसटीपी खाता संख्या 98/88 में 2.618 है. दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादीगण ने चक 4 एसटीपी राजस्व विभाग राजस्थान पास बुक एवं राजस्थान सरकार भू–प्रबन्धक विभाग चक 4 एसटीपी के पर्चा लगान की प्रमाणित चित्रप्रति पेश की है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी ने वारिसान तस्दीक हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये

गये है। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 नाम से चक 4 एसटीपी के खाता संख्या 98/88 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में 2.618 है. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 4 एसटीपी राजस्व विभाग राजस्थान पास बुक एवं राजस्थान सरकार भू–प्रबन्धक विभाग चक 4 एसटीपी के पर्चा लगान की चित्रप्रति पेश की है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाबदावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर चक 4 एसटीपी खाता संख्या 98/88 खाता लिछमणराम ज.ंस. 2070–73 में प्रतिवादी संख्या 1 लिछमणराम पुत्र हीराराम के नाम दर्ज कुल 2.618 है. आराजी का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 94 / 2019

1. नरेन्द्र कुमार 2. आत्माराम	|	पि. लिछमणराम जाति मेघवाल सा.भाखरांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1	लिछमणराम पुत्र हीरा राम	|	जाति मेघवाल सा. भाखरांवाली तह. संगरिया
2	कैलाश देवी	पुत्रीया लिछमणराम	
3	कमला		
4	पप्पू देवी		
5	शाखा प्रबन्धक एम.जी.बी. ग्रामीण बैक संगरिया तह. संगरिया		
6	तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया		

– प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिह कलसी वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक 4 एसटीपी खाता संख्या 98 / 88 खाता लिछमणराम ज. स. 2070–73 में प्रतिवादी संख्या 1 लिछमणराम पुत्र हीराराम के नाम दर्ज कुल 2.618 है. आराजी का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.09.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.22 14:02:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: